

हुक्म या कार्यवाही का इतिहास जज

तारीख
हुक्म

01/07/24

पत्रावली पेश हुई। पीठाधीन अधिकारी दिग्गज
कमलों में व्यस्त है, भिसल इस्तया होकर पत्रावली
पूर्व आदेशिकानुसार आईन्या दिनांक 06/08/24
को पेश हो।

01/08/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वही अनु। प्रतिवादी के
सम्मान शामिल। अदम, शामिल अपाए। इंतजार
होकर पत्रावली आईना दिनांक 20/08/24 को
पेश हो।



20/09/24

पत्रावली पेश हुई। पीठाधीन अधिकारी दिग्गज
कमलों में व्यस्त है, भिसल इस्तया होकर पत्रावली
पूर्व आदेशिकानुसार आईन्या दिनांक 23/10/24
को पेश हो।

01/10/24

पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। वही
स्वयं उपस्थित। वही वकील ने उर्धता पर वही
पत्रावली पेशी पर लेने बाबर पेश किया जिसे
शामिल पत्रावली किया जाता है। वही वकील ने
निवेदन किया कि उपर्युक्त भन्वान का वाद
माननीय न्यायालय में विचारणीय है जिसकी
भाषासी पेशी दिनांक 23/10/24 को नियत है।
अतः निवेदन है कि पत्रावली भजन पेशी तरीख
पर लेने का आदेश करमावे।
वही वकील के उर्धता पर को स्वीकार कर पत्रावली
भजन पेशी तरीख पर ली गई।
वही वकील ने उर्धता पर वही स्वयं वाद
विज्ञो करने बाबर पेश किया जिसे शामिल पत्रावली
किया जाता है। वही वकील ने निवेदन किया कि
उपर्युक्त भन्वान के उकरण में अणे कोडे करवाई
नही पावता हूँ, इसलिए वाद विज्ञो करना चाहता हूँ।
अतः निवेदन है कि वही का उर्धता पर वही
स्वयं वाद विज्ञो करने बाबर को स्वीकार कर वाद
जसिय विज्ञो जारिन करमावे।

शरीफ
पठानवादी
निवेदन
वकील वही



अन्वयान - कृषि मंत्रालय कबुल कौरा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वादी का पार्थिता पत्र वास्ते राजस्व वाद विद्ने
करने वाकत को न्यायद्वि में स्वीकार किया
जाता है। उक्त अन्वयान के प्रकरण को जरिये
विद्ने खरिज किया जाकर प्रकरण को कर्षवाडि
दूसी स्तर पर समाप्त की जाती है। फ्रावली
फैसल अनुसार होकर दाखिल दफतर हो।
संख्या से एक कम हो।

श्री
24.10.2017